



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-632

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 312221 दिनांक 06/07/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
---------	--------------	--------------------------	---------------	------------------	--	--------------	-------------------------------	----------------------------------



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

1	Hari Shankar Khandelwal S/o NATHU LAL	श्री नाथूलाल खण्डेलवाल पुत्र स्व. श्री विजय लाल खण्डेलवाल	1&2	308.17 SQ. YARD	Private	RAGHU NANDAN VIHAR Sector/Block- S	Name Transfer	आवेदक श्री हरीषंकर खण्डेलवाल पुत्र स्व. श्री नाथूलाल खण्डेलवाल द्वारा निजी खातेदारी की योजना रघु नन्दन विहार के भूखण्ड संख्या एस- 1&2 क्षेत्रफल 355.55 व.ग. के नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड के मूल भूखण्ड संख्या एस- 1&2 क्षेत्रफल 355.55 व.ग. की लीजडीड दिनांक 23.03.2010 को श्री नाथूलाल खण्डेलवाल पुत्र स्व. श्री विजय लाल खण्डेलवाल के पक्ष में जारी की गई हैं। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड संख्या एस- 1&2 क्षेत्रफल 355.55 व.ग. को श्री नाथूलाल खण्डेलवाल पुत्र स्व. श्री विजय लाल खण्डेलवाल द्वारा जरिये पंजीकृत वसीयत नामा दिनांक 17.07.2008 को अपने पुत्र श्री हरीषंकर खण्डेलवाल पुत्र स्व. श्री नाथूलाल खण्डेलवाल को वसीयत किया गया।
---	--	---	-----	--------------------	---------	--	------------------	---



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Hari Shankar Khandelwal S/o NATHU LAL को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।